न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमन्द

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्या 08/2019

दायर दिनांक 02.04.2019

निर्णय दिनांकः 01.03.2021

अनवान् मुकदमा

1. श्री जगदीश पिता डावर जी जाति रेगर उम्र 57 वर्ष
2. श्री भेरूलाल पिता उदा जी जाति रेगर उम्र 52 वर्ष
3. श्री मांगीलाल पिता लालू जी जाति रेगर उम्र 81 वर्ष
4. श्री लक्ष्मण पिता गणेश जी जाति रेगर उम्र 43 वर्ष
5. श्रीमति राधादेवी पत्नी गणेश जी जाति रेगर उम्र 65 वर्ष
6. श्री भंवरलाल पिता चतरभुज जी जाति रेगर उम्र 67 वर्ष

सभी निवासीयान आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द

————अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता हीरालाल जी जाति माली उम्र वयस्क
2. श्री बाबुलाल पिता हीरालाल जी जाति माली उम्र वयस्क
3. श्री देवीलाल पिता हीरालाल जी जाति माली उम्र वयस्क
4. श्रीमती वरदी पुत्री हीरालाल जी जाति माली उम्र वयस्क

सभी निवासीयान आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द

————रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, आमेट नामान्तरकरण संख्या 3002 दिनांक 23.07.2015 ग्राम आमेट अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः

1– श्री डालचन्द जाट, अधिवक्ता अपीलार्थीगण

2– श्री सम्पत लढ्ढा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आमेट,पटवार हल्का आमेट,तहसील आमेट मे खसरा संख्या 2235 रकबा 0.0700 हेक्टर भूमि स्थित है,जो पूर्व में हीरालाल पिता तारू माली निवासी आमेट की खातेदारी मे दर्ज थी । उक्त भूमि को दिनांक 30.03.2002 को तत्कालीन खातेदार हीरा ने अपीलार्थी संख्या 1,2,3,6 व 4 के पिता व 5 के पति को वसीयत करते हुए इसी दिन 100/–रूपये के स्टाम्प पर वसीयत नामा लिख कर अपना अगुठा निशानी कर नोटेरी करवा दी । उक्त वसीयत साक्षीयो से अनुप्रमाणित होकर वसीयतकर्ता के पुत्र अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनलाल के भी सहमति स्वरूप वसीयत नामा पर हस्ताक्षर है। दिनांक 21.05.2015 को खातेदार /वसीयतकर्ता हीरा की मृत्यु हो गई, जिस पर वसीयत नामा अनुसार उक्त वसीयत की गई भूमि खसरा संख्या 2235 का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम पर स्वीकृत होना था, किन्तु तत्कालीन पटवारी पटवार

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

हल्का आमेट ने मनमाने तरीके से नामान्तरकरण रेस्पोडेन्टस के नाम पर भरकर तहसीलदार आमेट से स्वीकृत करवा दिया जो अवैध होकर अपास्त होने योग्य है। इस नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण की ओर अधिवक्ता उपस्थित। जिन्होने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूर्णतः गलत होकर अस्वीकार है अपीलार्थीगण एग्रीव्ड पर्सन नहीं है, क्योकि तहसीलदार के समक्ष यह पक्षकार ही नही थे, जिससे अपील प्रस्तुती का ही हक अधिकार नही हैं। अपीलार्थी ने फर्जी रूपेण वसीयत तैयार करके गलत रूपेण यह अपील दायर की है, माली जाती का व्यक्ति जिसके बाल बच्चे व परिवार है, क्यो कर रेगर जाति के अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत करेगा, वह भी अनरजिर्स्टड ? रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने व येनकेन प्रकारेण हमारी जमीन हडपने के लिए यह कार्यवाही करवाई हैं। अपीलार्थी ने विलम्ब का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नही दिया है, अपीलार्थी ने तहसीलदार में दरखास्त क्यों नही दी ? दी तो कब दी स्पष्ट नही है ? किस पटवारी ने कब आश्वासन दिया ? रेस्पोडेन्ट से अपीलार्थी ने कब सर्म्पक किया ? नामान्तरण की जानकारी कब व कैसे हुई, कुछ भी स्पष्ट नही हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि खसरा संख्या 2235 रकबा 0.0700 हेक्टर भूमि स्थित है,जो पूर्व में हीरालाल पिता तारू माली निवासी आमेट की खातेदारी मे दर्ज थी । उक्त भूमि को दिनांक 30.03.2002 को तत्कालीन खातेदार हीरा ने अपीलार्थी संख्या 1,2,3,6 व 4 के पिता व 5 के पति को वसीयत करते हुए इसी दिन 100/–रूपये के स्टाम्प पर वसीयत नामा लिख कर अपना अगुठा निशानी कर नोटेरी करवा दी । उक्त वसीयत साक्षीयो से अनुप्रमाणित होकर वसीयतकर्ता के पुत्र अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनलाल के भी सहमति स्वरूप वसीयत नामा पर हस्ताक्षर है। दिनांक 21.05.2015 को खातेदार/वसीयतकर्ता हीरा की मृत्यु हो गई, जिस पर वसीयत नामा अनुसार उक्त वसीयत की गई भूमि खसरा संख्या 2235 का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम पर स्वीकृत होना था, किन्तु तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का आमेट ने मनमाने तरीके से नामान्तरकरण रेस्पोडेन्टस के नाम पर भरकर तहसीलदार आमेट से स्वीकृत करवा दिया जो अवैध होकर अपास्त होने योग्य है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूर्णतः गलत होकर अस्वीकार है अपीलार्थीगण एग्रीव्ड पर्सन नहीं है, क्योकि तहसीलदार के समक्ष यह पक्षकार ही नही थे, जिससे अपील प्रस्तुती का ही हक अधिकार नही हैं। अपीलार्थी ने फर्जी रूपेण वसीयत तैयार करके गलत रूपेण यह अपील दायर की है, माली जाती का व्यक्ति जिसके बाल बच्चे व परिवार है, क्यो कर रेगर जाति के अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत करेगा, वह भी अनरजिर्स्टड ? रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने व येनकेन प्रकारेण हमारी जमीन हडपने के लिए यह कार्यवाही करवाई हैं। अपीलार्थी ने विलम्ब का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नही दिया है, अपीलार्थी ने तहसीलदार में दरखास्त क्यों नही दी ? दी तो कब दी स्पष्ट नही है ? किस पटवारी ने कब आश्वासन दिया ? रेस्पोडेन्ट से अपीलार्थी ने कब सर्म्पक किया ? नामान्तरण की जानकारी कब व कैसे हुई, कुछ भी स्पष्ट नही हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन विचार किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण खातेदार हीरा की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया तथा चार संतानो के होते हुए किसी अनजान व्यक्ति के नाम वसीयत किया जाना प्रथम दृष्टया उचित नही लगता हैं। वसीयत की सत्यता (Validity) को भी Summary Proceeding की कार्यवाही में नही जॉचा जा सकता हैं। खातेदारी अधिकारों को नामान्तरण की अपील के द्वारा बिना साक्ष्य के निर्णित नही किया जा सकता हैं। साथ ही 04 वर्ष यानि 1320 दिन का विलम्ब होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रस्तुत याचिका खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:आदेश::

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण अपील समय बाधित (Time Barred) होने से खारिज किया जाता है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 01.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द